

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ: सीएमडी-2/16:4923

06 03 2018

विषय: पुनरीक्षित आई एस 4923:2017 के कार्यान्वयन की तिथि का विस्तार।

यह सीएमडी-2 नोट सं सीएमडी-2/16:4923 दिनांक 31 10 2017 & 07 11 2017 के संदर्भ में है ।

सक्षम प्राधिकारी ने संशोधित आई एस 4923:2017 के कार्यान्वयन की तिथि क्रमशः दिनांक 28 अगस्त 2018 तक विस्तार के लिए सहमती प्रदान की है ।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि वे लाइसेंसधारी/आवेदकों को सूचित करें एवं नियत तिथि पहले उपरोक्त संशोधित आईएस 4923:2017 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।

(अरुण पुच्छकायला)
वैज्ञानिक सी

प्रमुख (सीएमडी-2)(हस्ता/-)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

प्रतिलिपि : आई टी एस विभाग - बीआईएस इंटरनेट पर डालने हेतु

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 4923

06 03 2018

Subject: Extension of date of implementation of revised IS 4923:2017

This has reference to the CMD-2 note ref:CMD-2/16:4923 dated 31 10 2017 & 07 11 2017.

The Competent Authority has agreed for extension of date of implementation for revised IS 4923:2017 upto 25 August 2018.

All ROs/BOs are requested to intimate the above to licensees/applicants and ensure implementation of the above revised IS 4923:2017 by its due date.

(Arun Pucchakayala)
Scientist C

Head (CMD-2) (sd/-)

All ROs/BOs

Copy to : ITS for hosting on BIS Intranet.